न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राममंजमंडी

प्रकरण संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
4 / 2018	15.03.2018	17 / 04 / 2018

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.)

–:: उनवान ::–

1. दीपचंद आयु 50 वर्ष आत्मज देवीलाल उर्फ देवलाल जाति लश्करी निवासी जुल्मी तहसील राममंजमंडी जिला कोटा राज0

(अपीलांट)

–:: बनाम ::–

1. दुर्गा आत्मज स्व0 दीपचंद
2. लखन उर्फ लाखन आत्मल स्व0 दीपचंद
3. धापू बाई पत्नि स्व0 दीपचंद जाति लश्करी निवासीगण जुल्मी तहसील राममंजमंडी जिला कोटा राज0
4. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, राममंजमंडी जिला कोटा राज0

(रेस्पोडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट 1956
बनाराजगी आदेश नामान्तरणकरण 1911 दिनांक 28 / 11 / 2017
ग्राम पंचायत जुल्मी

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री चंदन गुप्ता :– वकील अपीलार्थी
2. श्री पवन गुप्ता :– वकील रेस्पो0

–:: निर्णय :–

दिनॉक 17.04.2018

अपीलार्थी द्वारा एक अपील जरिये विद्वान अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ,
अपीलांट निम्न कारणो सहित अपील प्रस्तुत करता है:–

यह कि अपीलांट ग्राम जुल्मी का निवासी है। जिसके खाते की कृषि भूमि वाके माल ग्राम जुल्मी की खाता सं0 398 के खसरा नं0 1014 का रकबा 0.0100 है0, खसरा नं0 3006 का रकबा 0.4900 है0, खसरा नं0 3007 का रकबा 0.0800 है0, खसरा नं0 3450 का रकबा 0.5000 है0 कुल किता 4 का रकबा 1.0800 है0 स्थित है।

यह कि अपीलांट के नाम का ही दूसरा व्यक्ति दीपचंद पुत्र देवीलाल था, जिसकी मृत्यु होने पर उसके वारिसान किन्तु रेस्पोडेंट सं0 1 लगायत 3 द्वारा सहवन से

धिकारी
डी
Scanned by CamScanner

अपीलाण्ट के रेवेन्यू खाते में मृतक दीपचंद के स्थान पर स्वयं के नाम दर्ज करने हेतु आवेदन कर दिया, जबकि मृतक दीपक पुत्र देवीलाल के नाम कोई कृषि भूमि नहीं है।

यह कि रेस्पोडेंट 1 लगायत 3 के आवेदन पर ऑनलाईन नामान्तरकरण 1911 दिनांक 28/11/2017 को दर्ज हुआ जो कि दिनांक 20/12/2017 को ग्राम पंचायत जुल्मी द्वारा तस्दीक किया गया जिसके अमल से राजस्व रेकॉर्ड में अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट क0 1 व 2 के पिता व रेस्पा0 3 के स्थान पर अपीलाण्ट के खाते में रेस्पोडेंट सं0 1 लगायत 3 का नाम दर्ज हो गया।

यह कि यह तथ्य अपीलाण्ट की जानकारी में आने पर उसने मृतक दीपचंद के वारीसान रेस्पोडेंट सं0 1 लगायत 3 को इस बाबत बताया जिस पर रेस्पोडेंट सं0 1 लगायत 3 कमशः 1 दुर्गालाल पुत्र, 2 लखन उर्फ लाखन पुत्र, 3 धापू बाई पत्नि द्वारा एक शपथ पत्र नोटेरी तस्दीक शुदा 100/–रु0 के स्टाम्प पेपर पर आलेखित इस आशय का दिया गया कि उन्होने अपीलांट की भूमि को स्वयं की मानकार स्व0 दीपचंद पुत्र देवीलाल के स्थान पर विरासतन स्वयं के नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया था। जिससे सहवन से वास्तविक खातेदार अपीलांट दीपचंद के स्थान पर खाते मे रेस्पोडेंट सं0 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हो गये।

यह कि ऐसी स्थिति में अपीलांट के लिये ग्राम पंचायत जुल्मी का नामांतरण आदेश 1911 दिनांक 28/11/2017 का निरस्त कराया जाना आवश्यक हो गया।

यह कि आदेश 1911 दिनांक 28/11/2017 ग्राम पंचायत जुल्मी के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश 1911 दिनांक 28/11/2017 निरस्त फरमाया जावें।

यह कि अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की होकर उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश 1911 दिनांक 28/11/2017 ग्राम पंचायत जुल्मी निरस्त फरमाया रेवेन्यू रेकॉर्ड में अपीलांट का नाम खाता सं0 398 ग्राम जुल्मी में पुनः दर्ज फरमाया जावे।

Scanned by CamScanner

अपील अपीलार्थी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री पवन गुप्ता विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया गया। तथा जवाब अपील प्रस्तुत किया गया। जवाब की प्रति विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को दिलवाई जाकर जवाब शामिल मिसल किया गया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि प्रकरण वर्णित भूमि के खातेदार तथा रेस्पो0 के पिता/पति, दादा/दादी ससुर , दोनों की जाति व सकूनत समान होने से भूलवश अपीलार्थी के स्थान पर रेस्पो0 का नाम दर्ज हो गया है। अपीलार्थी जीवित है तथा रेस्पो0 के पिता/पति दीपचन्द की मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण वर्णित भूमि के अभिलिखित खातेदार अर्थात अपीलान्ट जीवित है। अतः अपील स्वीकार की जाने में कोई ऐतराज नहीं है। रेस्पोडेंट ने निम्न इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया

यह कि अपील की मद नं0 01 सत्य होने से स्वीकार है। अपीलांट व रेस्पोडेंट नं 01 व 2 के पिता व 3 के पति स्व0 दीपचंद आत्मज देवीलाल का नाम, पिता का नाम, जाति व गांव एक समान होने से सहवन से अपीलांट के सथान पर रेस्पोडेंट द्वारार स्वयं की कृषि भूमि समझकर रेस्पोडेंट द्वारा फौती इंतकाल के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर सहवन से अपीलांट के स्थान पर रेस्पोडेंट का नाम दर्ज हो गया था, जबकि अपील में दर्ज भूमि का वास्तविक मालिक अपीलांट ही है।नामांतरण सं0 1911 दिनांक 28/11/2017 ग्राम पंचायत जुल्मी द्वारा सहवन से अपीलांट व मृतक का नाम व पिता का नाम भी एक समान होने मृतक स्थान पर अपीलांट के खाते में रेस्पोडेंअ सं0 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हो गया। यह तथ्य अपीलांट की जानकारी में आने पर उसने मृतक दीपचंद के वारिसान रेस्पोडेंट सं 1 लगायत 3 को इस वावत वताया जिस पर रेस्पोडेंट सं0 1 लगायत 3 कमशः 1 दुर्गालाल पुत्र 2 लखन उर्फ लाखन पुत्र 3 धापू बाई पत्नि द्वारा एक शपथ पत्र नोटेरी तस्दीक शुदा 100/–रु0 के स्टांप पेपर पर आलेखित इस आशय का दिया गया कि उन्होने अपीलांट की भूमि को स्वयं की मानकर स्व0 दीपचंद पुत्र देवीलाल के स्थान पर विरासतन स्वयं के नाम दर्ज करने हेतु आवेदन किया था। जिससे सहवन से मृतक दीपचंद के स्थान पर अपीलांट के खाते में रेस्पोडेंट सं0 1 लगायत 3 के नाम दर्ज हो गये। रेस्पोडेंट के नाम राजस्व खाते से खारिज कर अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने में रेस्पोडेंट को कोई आपत्ति नहीं है।

अधिकारी

Scanned by CamScanner

अतः इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन हैकि रेवेन्यू रेकॉर्ड में रेस्पोडेंट के स्थान पर अपीलांट का नाम खाता सं0 398 ग्राम जुल्मी में पुनः दर्ज किये जाने पर रेस्पोडेंट को कोइ आपत्ति नहीं है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट का , अपीलान्ट के पिता का नाम रेस्पो0 के पिता व दादा के नाम से मिलता है साथ ही साथ अपीलान्ट व रेस्पो0 की सकूनत व जाति भी लिती है इसी के भ्रम में रेस्पो0 द्वारा प्रकरण वर्णित भूमि को अपने पिता की भूमि मानकर उस पर अपने पिता/पति दीपचन्द के स्थान पर सहवन से नाम दर्ज करवा लिया गया है। रेस्पो0 को अपनी त्रुटि का ज्ञान होने पर अपीलार्थी से स्वयं रेस्पो0 ने कहा कि यह भूमि हमारी नहीं है गलती से हमारा नाम दर्ज हो गया है। इस हेतु स्वयं के शपथपत्र भी प्रस्तुत किये जा चुके है। उक्त त्रुटि पिता , दादा , जाति निवास आदि के समान मिलने के कारण हुई है। नामान्तरकरण सहवन से अपीलार्थी की जगह रेस्पो0 का नाम दर्ज हो गया है जिसे दुरूस्त किया जावे। नामा0 खारिज़ किया जाकर प्रकरण वर्णित भूमि पर वापस अपीलार्थी का नाम पूर्ववतः दर्ज किया जावे।

अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मेमों के साथ नकल अपीलाधीन नामान्तरकरण ग्राम जुल्मी , ‹191› निर्णय दिनॉक 20.12.2017 , मृत्यु प्रमाण पत्र श्री दीपचन्द बैरवा , छायाप्रति शपथपत्र लखन , शपथपत्र रेस्पो0 दिनॉक 28.01.2018 किता 2

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित व वर्णित तथ्य , वॉच्छित अनुतोषादि , रेस्पो0 के जवाब , व प्रकरण में प्रस्तुत शपथपत्रादि तथा दस्तावेजात का सम्यक अनुशीलन किया गया।

प्रकरण में यह तथ्य उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत है कि हस्तगत प्रकरण से प्रभावित भूमि का खातेदार अपीलार्थी है तथा रेस्पो0 के पिता का नाम व दादा का नाम हस्तगत प्रकरण से प्रभावित भूमि के खातेदार तथा उसकी वल्दियत जाति व सकूनत समान है। उक्त प्रकरण वर्णित भूमि का खातेदार अपीलार्थी है प्रकरण वर्णित भूमि का खातेदार अर्थात अपीार्थी जीवित है तथा रेस्पो0 के पिता की मृत्यु होने से अपीलार्थी के स्थाान पर रेस्पो0 का नाम दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण वर्णित भूमि पर रेस्पो0 का नाम मात्र दिखावटी

Scanned by CamScanner

है उक्त नाम दर्ज हो जाने से प्रकरण वर्णित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमि पर रेस्पो0 को कोई विधिक स्वत्व प्राप्त नही हो सकते है। अपील अपीलान्ट में वांछित अनुतोष को रेस्पो0 द्वारा अंगीकार किया गया है।

प्रकरण में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने में रेस्पो0 को कोई आपत्ति नहीं है। अतः सहमति की हद तक अपील स्वीकार की जाती है

प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारणोपरान्त हम अपील अपीलार्थी को स्वीकार किया जाना उचित पाते है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अदालत मातहत नामान्तरकरण संख्या 0191 दिनॉक 20.12.2017 वाके माल मौजा जुल्मी को निरस्त किया जाता है। उक्त नामान्तरकरण से प्रभावित भूमि पर रेस्पो0 नम्बर 1 से 3 का नाम हटाया जाकर पूर्ववत अपीलार्थी का नाम दर्ज किया जावे।

निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रामगंजमण्डी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर बाद तामील तकमील व तरमीम प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(के0जी0जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निर्णय आज दिनॉक 17/04/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

(के0जी0जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner